275
09-03-2018

बिहार सरकार,
बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

दिनांक–30.12.2017 को बिहार कौशल विकास मिशन के पदाधिकारियों के टीम के द्वारा कौशल प्रशिक्षण केन्द्र ओम प्राईवेट आई0टी0आई0 हाजीपुर KYP code 09060047 का निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय इस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति नगण्य पायी गयी । निरीक्षण के समय प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति की तुलना में सर्वर पर login status में प्रशिक्षणार्थियों का login ज्यादा प्रदर्शित हो रहा था । भौतिक सत्यापन में पाया गया कि केन्द्र पर उपस्थित एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक कंप्यूटर पर ERA login किया गया था तथा सत्र का संचालन किया जा रहा था ।

निरीक्षण में पाये गये त्रुटि के आधार पर बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–BSDM/SDM-18/2017-132 दिनांक–05.02.2018 के द्वारा एजेंसी मेसर्स ओम प्राईवेट आई0टी0आई0 से स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा तत्काल प्रभाव से इस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को अवरूद्ध कर दिया गया ।

पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में सचिव, ओम प्राईवेट आई0टी0आई0 के द्वारा अपने पत्र संख्या–106/2018 दिनांक–09.02.2018 के द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। अपने स्पष्टीकरण में एजेंसी के द्वारा यह कहा गया कि एक प्रशिक्षणार्थी System पर अपना ERA login कर प्रशिक्षण लेने के दौरान अपने बगल के खाली System पर अपना ERA login कर अपने सत्र को आगे बढ़ा रहे थे, जिसपर उनके LF का ध्यान नहीं गया तथा जिसके लिए उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की है । अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा क्षमा याचना करते हुए केन्द्र को पुनः संचालित करने का अनुरोध किया गया ।

एक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा Learning facilitator की उपस्थिति में एक से अधिक System पर ERA login किया जाना किसी अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी के सत्र को आगे बढ़ाने सदृश्य है तथा यह अनियमितता का परिचायक है । अतः सचिव, ओम आई0टी0आई0 से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उन्हें कठोर चेतावनी निर्गत की जाती है तथा उनके केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों के अवरूद्ध नामांकन को विमुक्त किया जाता है । साथ हीं Learning facilitator की उपस्थिति में एक प्रशिक्षणार्थी के द्वारा एक से अधिक System पर ERA login किये जाने तथा सत्र को संचालित किये जाने के प्रमाणित आरोप के लिए उनके माह दिसम्बर, 2017 बैच के Final Invoice से 30% की राशि कटौती की जाती है । उन्हें यह भी चेतावनी निर्गत की जाती है कि भविष्य में यदि इस केन्द्र के संचालन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी जाती है तो इस केन्द्र पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को स्थायी रूप से अवरूद्ध कर दिया जायेगा तथा नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात इस केन्द्र को स्थायी रूप से बंद कर दिया जायेगा ।

ह0/–
(दीपक कुमार सिंह)
प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–18/2016–275 पटना,दिनांक– 09-03-2018

प्रतिलिपि– (1) श्री ओम प्रकाश, सचिव, ओम प्राईवेट आई0टी0आई0, हाजीपुर KYP Code 09060047 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) मिशन निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी/ मिशन प्रबंधक, कार्यक्रम क्रियान्वयन/ मिशन प्रबंधक, वित्त, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मिशन प्रबंधक, वित्त को आदेश दिया जाता है कि वे एजेंसी मेसर्स ओम प्राईवेट आई0टी0आई0 के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र KYP code 09060047 के माह दिसम्बर, 2017 बैच के Final Invoice से 30% की राशि की कटौती करना सुनिश्चित करें । मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को आदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति को सभी SDC/BSDC को परिचारित करना सुनिश्चित करें ।

(3) Project Director, MKCL/ Project Director, SPMU(E&Y)/ SPMU Incharge, वैशाली/ श्री रत्नदीप सिंह, प्रबंधक,MIS & M&D को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को बिहार कौशल विकास मिशन के Web portal पर Upload करना/कराना सुनिश्चित करें ।

9/3/18

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन ।